

No. 35029/4/2012-Fy (Trade)  
Government of India  
Ministry of Agriculture  
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries

Krishi Bhawan, New Delhi-110001  
Dated the 12<sup>th</sup> March, 2015

To

Member Secretary,  
Coastal Aquaculture Authority,  
Shastri Bhawan Annexe,  
26, Haddow's Road,  
Chennai – 600 006.

**Subject: Notification amending the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005-reg.**

Sir,

I am directed to refer to the abovementioned subject and to enclose herewith 10 copies of the Notification number G.S.R. 64 (E) dated 28<sup>th</sup> January, 2015 published in Part-II –Section 3-Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary dated 29<sup>th</sup> January, 2015 regarding amendment in the guidelines for seed production and culture of SPF *P. monodon* issued vide notification No.GSR 695 (E) dated 14<sup>th</sup> September, 2012 under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 for your information and necessary action.

Encl.: as above

Yours faithfully,

  
(I.A. Siddiqui)  
Assistant Commissioner (Fisheries)

Copy to:

1. Director, NIC, DAH, D&F with a request to upload the enclosed notification on this Department's website.
2. CAA Desk, DAHD&F, Krishi Bhawan with a request for taking necessary action for laying the said Notification in the Houses of Parliament.

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2015/माघ 9, 1936

No. 61]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2015/MAGHA 9, 1936

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 64(अ).—केन्द्रीय सरकार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में उपाबंध-3 में:—

(क) 'संगरोध' संबंधी पैरा ख के, उप पैरा (1) में,—

(i) "पोस्ट लार्वा (पी एल)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "पेरेंट पोस्ट लार्वा (पी.पी.एल.)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) "सभी स्टॉक" शब्दों के स्थान पर "सभी विशिष्ट पैथोजन मुक्त (एस.पी.एफ.) स्टॉक" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) पैरा घ संबन्धित 'एसपीएफ पी. मोनोडान के लिए हैचरिओं के प्रचालन के लिए सुरक्षा मानक और विनियम' में उप पैरा 10 से संबन्धित 'अप्राधिकृत हैचरिओं या फार्मों में स्टॉक को नष्ट करना' में "निरीक्षण दल द्वारा ऐसे स्टॉक को ऐसी किसी विधिप्रकार से/ जो उपयुक्त समझा जाए द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "निरीक्षण दल ऐसे स्टॉक को ज़ब्त कर, निबटारा और/या नष्ट कर सकेंगे जो वे उपयुक्त समझें" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 35029/4/2012-मा.(ट्रेड)]

राजा शेखर वुन्दु, संयुक्त सचिव

